न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 175/2022

जसकरण सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

– प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. बलकरण सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, राजस्व श्रीगंगानगर ।

– –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता – – प्राथी
2. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 2

अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :–27.12.2024

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 21 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 117/29 का मुरब्बा नम्बर 2 की कुल 3.340 है० नहरी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा दर्ज खातेदारी राजस्व रिकार्ड है। शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी के नाम से दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी का पता वही है, जो कि प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह कि प्रार्थी के हिस्सा की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है । अप्रार्थी व प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता घरू तौर पर किला नम्बर 5, 6, 15 की किला लाईन से 602 फीट छोड़कर किला नम्बर 4 के बीच में से 0.017 है0, 7 व 14 के बीच 0.019–0.019 है0 व इससे आगे किला नम्बर 14 की दक्षिणी दिशा में किला लाईन पर 0.011 हैक्टेयर व किला नम्बर 13 की दक्षिणी दिशा में किला लाईन पर 0.005 हैक्टेयर (पूर्व से पश्चिम की ओर) छोड़ा हुआ है। मगर उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से खातेदारी होने के कारण वह प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करता हैं। जबकि प्रार्थी की कृषि भूमि में पहुंचने व कृषि औजार के परिवहन का एकमात्र रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर वह हमेशा टाल–मटोल करता रहा, मगर अब प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी सहमति से रास्ता नहीं देना चाहता हैं तो प्रार्थी द्वारा गांव के मौजूज व्यक्तियों की पंचायत साथ ले जाकर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 22.10.2022 को अप्रार्थी से रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की तो उसने सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया है तथा प्रार्थी को धमकी है कि वह इस रास्ता को बन्द करेगा। यदि अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता को बन्द कर दिया तो प्रार्थी के रकबा में आने जाने का एकमात्र विकल्प समाप्त हो जाएगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिए प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थी उक्त रास्ता को बन्द करने से व प्रार्थी के आवागमन में किसी प्रकार का अवरोध पैदा करने से निषिद्ध रहें। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थी को उसके रकबा में आने जाने के लिए रकबा चक 21 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की अप्रार्थी व प्रार्थी की में से 12 फीट चौड़ा रास्ता जो घरू तौर पर किला नम्बर 5, 6, 15 की किला लाईन से 602 फीट छोड़कर किला नम्बर 4 के बीच में से 0.017 है0, 7 व 14 के बीच 0.019–0.019 है0 व इससे आगे किला नम्बर 14 की दक्षिणी दिशा में किला लाईन पर 0.011 हैक्टेयर व किला नम्बर 13 की दक्षिणी दिशा में में किला लाईन पर 0.005 हैक्टेयर (पूर्व से पश्चिम की ओर) कुल 0.071 है० रकबा में चल रहा है, को बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता दर्ज करवाया जावे

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी विधिवत होने एवं अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी की कृषि भूमि के लिए रास्ता का अभाव है, प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु निम्न प्रकार से रस्ता स्वीकार किया जाकर चक 21 एलएनपी के मुरबा नम्बर 2 के किला नं. 4/3(0.0170 है.), 7/3(0.0190 है.), 13/4(0.0050 है.), 14/1(0.0300 है.) रकबा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्सा की भूमि का डी.एल.सी. की दुगुनी राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 27.12.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर